<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), झाँसी</u>
<u>डिफॉल्ट जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1276/2026</u>

सरफराज उर्फ सरफराज खान पुत्र स्व.शमसाद उर्फ पुत्तर निवासी-मोहिनी बाबा नवाबाद,झाँसी
-----प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश, सरकार -------अभियोजन।

धारा-62,64 भा.न्या.सं. व 5m/6 पॉक्सो एक्ट।
थाना-नवाबाद,जिला-झाँसी।
<u>मु.अ.सं.-212/2026</u>

1- प्रार्थी/अभियुक्त सरफराज उर्फ सरफराज खान पुत्र स्व.शमसाद उर्फ पुत्तर की ओर से मु.अ. सं.-212/2026,धारा-62,64 भा.न्या.सं. व 5m/6 पॉक्सो एक्ट, थाना-नवाबाद,जिला झाँसी के अभियोग में डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र दिनांकित-06.07.2026 प्रस्तुत किया गया,जो उसके पैरोकार अल-शिफा खान पुत्री सरफराज खान के शपथपत्र से समर्थित है।

2- उपरोक्त प्रार्थनापत्र में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से संक्षेप में यह कहा गया है कि-भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-64,65,66,67,68,70,71 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-4,6,8,10 के अधीन किसी अपराध के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से,जिसकी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित की गयी थी,दो माह के भीतर पूरा किया जा सकेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक-27.04.2026 को रात्रि 11.03 मिनट पर थाना-नवाबाद द्वारा दर्ज की गयी थी। अभियुक्त का कहना है कि उसको थाना नवाबाद पुलिस द्वारा दिनांक-27.04.2026 को शाम 7 बजे उसकी दुकान से जो पुराने बस स्टैण्ड के पास है,से गिरफ्तार किया गया था और उसको दिनांक-01.05.2026 तक थाना नवाबाद पुलिस द्वारा कभी मण्डी चौकी में तो कभी मेडिकल चौकी में अभियुक्त को अवैध तरीके से गिरफ्तार करके रखा गया,जबकि गिरफ्तारी प्रपत्र में दिनांक-30.04.2026 को समय 2.02 बजे पुलिया नंबर-9 से गिर-फ्तार करना बताया गया है। अभियुक्त के खिलाफ आज दिनांक अर्थात् 06.07.2026 तक अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल नहीं की गयी है,जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से आज तक दो माह का समय पूरा हो चुका है। इस स्थिति में बी.एन.एस.एस. की धारा-193(2) का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक-21.05.2026 को माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है। आज दिनांक तक अभियोजन /आई.ओ. द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष 60 दिन में विवेचना पूर्ण न होने पर विवेचना में और समय मांगने के लिए कोई प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। इस आधार पर उसको धारा-193(2) का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आधारों पर डिफॉल्ट जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-193(2)स्वीकार कर उसको जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है।

3- विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

4- उपरोक्त प्रार्थनापत्र आज सुनवाई हेतु नियत है,परन्तु अभियुक्त की ओर से न तो वह, न ही उसके विद्वान अधिवक्ता सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित हैं,जबकि अभियुक्त के पैरोकार उपस्थित हैं।

5- समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह परिलक्षित है कि अभियुक्त की ओर से यह प्रार्थनापत्र दो आधारों पर डिफॉल्ट बेल स्वीकार किए जाने हेतु दिया गया है। प्रथम आधार अभियुक्त के दिनांक-27.04.2026 को शाम 7 बजे उसकी दुकान से गिरफ्तार करने एवं उसे दिनांक-01.05.2026 तक थाना नवाबाद की पुलिस द्वारा अलग-अलग चौकियों में निरुद्ध रखे जाने के संबंध में दिया गया है,तो इस तथ्य के संबंध में प्रार्थी की ओर से एक अलग प्रार्थनापत्र दिनांक-03.07.2026 को दिया जा चुका है,जिस पर न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है। अतः उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः नवीन आदेश पारित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6- जहां तक प्रार्थी का द्वितीय आधार का संबंध है कि धारा-193(2)बी.एन.एस. एस.,जो धारा-64,65,66,67,68,70,71 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-4,6,8,10 से संबंधित मामलों में अन्वेषण उस तारीख से,जिसकी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित की गयी थी,दो माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए,का संबंध है तो इस धारा के तहत ऐसी कोई उपबंध नहीं है कि यदि दो माह के अंदर अन्वेषण की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सके तो उसके आधार पर अभियुक्त डिफॉल्ट बेल का हकदार होगा। डिफॉल्ट बेल के संबंध में

उपबंध धारा-187(3)बी.एन.एस.एस. में किया गया है,जो यह प्रावधान करता है कि-मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध पंद्रह दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है,जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है,किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में निरोध-

(i) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा,जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है,जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष की अवधि या अधिक के लिए कारावास से दंडनीय है;

(ii) कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा,जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है,और, यथास्थिति, 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 35 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है।

7- प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र अंतर्गत धारा-62,64 BNS व धारा-18 पॉक्सो एक्ट प्रस्तुत किया गया है,जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक-29.07.2026 को संज्ञान भी लिया जा चुका है और अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा धारा-187BNSS से परिवर्तित कर धारा-346 BNSS के तहत वारण्ट बनाकर जेल सुपुर्द किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले में अपराध धारा-64/62 BNS से संबंधित है, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है और धारा-6 बी.एन.एस. के तहत दण्ड विधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास से तात्पर्य 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिने जाने का प्रावधान है। अतः इस आधार पर धारा-64 बी.एन.एस. के अपराध के प्रयत्न करने के दण्ड की मात्रा उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दण्ड की मात्रा की आधी अर्थात् 10 वर्ष के कारावास की सजा होगी और धारा-187(3)(1) BNSS में उपबंधित प्रावधान के तहत ऐसे मामले जो मृत्यु,आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि या अधिक के लिए कारावास से दण्डनीय अपराध है तो कुल-मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रखा जा सकता है। अतः उपरोक्त प्रावधान के तहत अभियुक्त सरफराज उर्फ सरफराज खान की धारा-187 BNSS के तहत 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए स्वीकार की गई न्यायिक अभिरक्षा पूरी तरह से विधि संगत है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8- अतः अभियुक्त की ओर से उपरोक्त आधारों पर डिफॉल्ट बेल दिए जाने के संबंध में दिया गया प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 3 ए निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते दिए जाने नकल एवं आरोप हेतु नियत दिनांक-11.08.2026 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(पॉक्सो एक्ट), झाँसी।